न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–07/2025 GCMS-2025/93

सरकार जरिये मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम्

श्री दलीप सिंह पुत्र श्री भीम सिंह निवासी कोलायत बीकानेर हाल घडसाना (श्री जय मां करणी कृपा भोजनालय)

–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए

–:निर्णयः–

दिनांकः–20.06.2025

यह इस्तगासा **मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक–23.09.2024 को **मनीष सिंगला प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़** रामसिंहपुर में स्थित **श्री जय मां करणी कृपा भोजनालय** पर पहुँचें। जांच के दौरान श्री जय मां करणी कृपा भोजनालय पर **श्री दलीप सिंह पुत्र श्री भीम सिंह निवासी कोलायत बीकानेर हाल घडसाना** मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मैनेजर बताया।

दलीप सिंह की उपस्थिति में **श्री जय मां करणी कृपा भोजनालय** की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठान पर चाय नाश्ता बनाने का व्यावसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए जय मां करणी कृपा भोजनालय पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से एवं 01 घरेलू गैस सिलेण्डर चूल्हे से जुड़ा पाया गया तथा 01 अन्य घरेलू गैस सिलेण्डर भी रखा पाया गया जो कि भट्टी/चुल्हे से जुड़ा हुआ नही था। तीनों घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये।

श्री दलीप सिंह ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा प्रतिष्ठान पर चाय नाश्ता बनाने में व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री दलीप सिंह द्वारा उक्त तीनों घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है, पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री दलीप सिंह के पास नही मिला।

फर्म जय मां करणी कृपा भोजनालय घडसाना पर पाये गये 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एक भट्टी मय रेगुलेटर/पाईप, एक चूल्हा मय रेगुलेटर/पाईप को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं जय सालासर भारत गैस एजेन्सी घडसाना के कार्मिक दिनेश कुमार पुत्र देवराज उम्र 43 जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं.–12 घडसाना आधार संख्या–754427094614 का सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। फर्द मौका जब्ती पर श्री दलीप सिंह द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया। उक्त जांच में यह स्पष्ट है कि श्री दलीप सिंह पुत्र श्री भीम सिंह निवासी कोलायत बीकानेर हाल घडसाना द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था।

श्री दलीपसिंह पुत्र श्री भीमसिंह फर्म जय मां करणी कृपा भोजनालय घडसाना के द्वारा घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक का कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6व7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र

पेश कर निवेदन है कि मौके से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक भट्टी मय रेगुलेटर/पाईप एक चूल्हा मय रेगुलेटर/पाईप को राजसात करने के आदेश फरमावें।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया प्रार्थी के नाम से 02 सिलेण्डर है तथा एक प्रार्थी के भांजे छेलुसिंह के नाम से है। प्रार्थी ने चाय पानी के लिए एक छोटा सा व्यवसाय कर रखा था। प्रार्थी के उक्त तीनों सिलेण्डर, एक चूल्हा, 02 रेगुलेटर पाईप सहित तथा एक भट्टी थी जो रसद विभाग द्वारा जब्त कर ली गई थी। इसके बाद में प्रार्थी ने अपना कारोबार बंद कर दिया गया है। प्रार्थी सियाना तहसील कोलायत से मजदूरी करने के लिए आया था। प्रार्थी गरीब आदमी है। प्रार्थी को मजूदरी को देखते हुए न्यायसंगत कार्यवाही करने कृपा करें।

प्रकरण में अप्रार्थी को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसके नाम से 02 सिलेण्डर है तथा एक प्रार्थी के भांजे छेलुसिंह के नाम से है। प्रार्थी ने चाय पानी के लिए एक छोटा सा व्यवसाय कर रखा था। प्रार्थी ने अपने कथनों में यह भी निवेदन किया कि उसने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है अपनी दैनिक जीवनचर्या को बेमुश्किल निर्वहन कर रहा है, ऐसी स्थिति में यदि सिलेण्डर जब्ती संबंधी कार्यवाही की जाती है तो जिस परिवार का सिलेण्डर था, उसको वापिस करना उसके लिए भारी पड़ेगा, जिससे आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ने से परिवार का भरण पोषण कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रार्थी ने क्षमा याचना करते हुए निवेदन किया कि भविष्य में घर/दुकान पर सिलेण्डर रखवाए जाने संबंधी कोई त्रुटि नही करेगा।

अतः प्रार्थी की दशा का देखते हुए उसके कथनों पर विश्वास करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम के जब्तशुदा सामान अप्रार्थी को लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड कार्यालय अनूपगढ़ को भिजवाते हुए जब्तशुदा सामान अप्रार्थी को 07 दिवस में लौटाया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाए जाने हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE * ANUPGARH *

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ